सेवा में,

समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारी,
उत्तराखण्ड।

पत्रांक–सू0प्र0/ 519 /2025–26 दिनांक 27 अगस्त, 2025

विषय– मा0 मुख्य सूचना आयुक्त महोदया की अध्यक्षता में दिनांक 12.08.2025 को सम्पन बैठक में प्राप्त निर्देशों के अनुपालन करने विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मा0 मुख्य सूचना आयुक्त, मा0 उत्तराखण्ड सूचना आयोग के पत्र संख्या 10082/उ0सू0आ0/2025–06 दिनांक 13–08–2025 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा मा0 मुख्य सूचना आयुक्त महोदया की अध्यक्षता में अशासकीय/वित्त पोषित विद्यालयों में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्राविधानों के अनुपालन सम्बन्धी सम्पन्न बैठक दिनांक 12 अगस्त, 2025 का कार्यवृत्त दिनांक 13–08–2025 उपलब्ध कराया गया है(प्रतिसंलग्न), जिसमें निम्नानुसार निर्देश प्रदान किये गये है :–

कार्यवृत्त के बिन्दु :–

2. अशासकीय विद्यालयों में समस्त अभिलेख जो वर्तमान में प्रबंधक की अभिरक्षा में हैं वे अब संबंधित विद्यालय के प्रधानाचार्य की अभिरक्षा में रखे जाएं जिससे सूचना का अधिकार अधिनियम के अतंर्गत सूचनायें मांगे जाने पर अनुरोधकर्ताओं को आसानी से सूचनायें उपलब्ध हो सकें।

3. वर्तमान में अशासकीय विद्यालयों के शिक्षकों/शिक्षणेत्तर कर्मियों के संबंध में वित्तीय अधिकार मुख्य शिक्षा अधिकारी में निहित हैं। बैठक में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि अशासकीय विद्यालयों के शिक्षकों/शिक्षणेत्तर कर्मियों के संबंध में वित्तीय अधिकार मुख्य शिक्षा अधिकारी में ही निहित रहेंगे किन्तु कोई भी वित्तीय प्रस्ताव बिना खण्ड शिक्षा अधिकारी की अनुशंसा के बिना स्वीकार्य नहीं किया जाएगा।

4. समस्त अशासकीय विद्यालयों द्वारा माह दिसम्बर,2025 तक अपनी–अपनी वैबसाइट बनाते हुए शिक्षा विभाग को अवगत कराया जाएगा। इस वैबसाइट में उनके द्वारा विद्यालय से संबधित प्रत्येक विषक को समाहित किया जाएगा।

5. बैठक में सर्वसम्मति से यह भी निर्णय लिया गया कि निजी विद्यालय जिन्हें राज्य सरकार से कोई वित्तीय सहायता प्राप्त नहीं होती है वे भी उस सीमा तक सूचना का अधिकार अधिनियम के अतंर्गत अनुरोधकर्ताओं को सूचना उपलब्ध कराये जाने हेतु बाध्य होंगे, जिस सीमा तक उनके द्वारा विद्यालय खोलने हेतु अनापत्ति लेते समय व उसके उपरान्त भी शिक्षा विभाग को नियमों के अन्तर्गत अभिलेख/सूचनायें प्रदान की जाती है।

Scanned with OKEN Scanner

6. अशासकीय विद्यालयों में गठित सोसाइटी का नवीनीकरण यदि समयांतर्गत नहीं होता है तो उसकी सूचना संबंधित विद्यालय/सोसाइटी को तत्काल शिक्षा विभाग को अवगत कराते हुए उसे अपनी वेबसाईट पर भी अपलोड करना चाहिए जिससे सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत सूचनायें मागे जाने पर अनुरोधकर्ताओं को तत्काल सूचना उपलब्ध करायी जा सके।

7. अशासकीय व राजकीय विद्यालयों के सभी प्रधानाचार्यों, ऐसे प्रवक्ताओं जो प्रभारी प्रधानाचार्य का कार्य देख रहे हैं तथा ऐसे प्रवक्ता जिन्हें समय-समय पर प्रभारी प्रधानाचार्य का पदभार दिया जाता रहता है, को शिक्षा विभाग द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत संबंधित जनपद के डायटों में अगले 2 माह के भीतर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कराया जाएगा। साथ ही प्रत्येक ज़नपद से दो प्रधानाचार्य / प्रवक्ताओं को आयोग कार्यालय में प्रशिक्षण हेतु आमंत्रित किया जाएगा, जिनमें प्रदेश के किन्हीं भी 6 प्रधानाचार्य/प्रवक्ताओं को आयोग द्वारा नामित किया जाएगा व अन्य 20 प्रधानाचार्य /प्रवक्ताओं को शिक्षा विभाग द्वारा नामित किया जायेगा।

8. अशासकीय विद्यालयों में अभिलेखों का रख-रखाव सही प्रकार से नहीं हो रहा है। इस सम्बन्ध में शिक्षा विभाग द्वारा एक अभियान चलाते हुए सभी अशासकीय विद्यालयों में अभिलेखों के रख-रखाव को दुरूस्त किया जायेगा।

9. अशासकीय विद्यालयों द्वारा पारदर्शिता के दृष्टिगत अपने विद्यालयों में स्वीकृत पदों व उनके सापेक्ष कार्यरत शिक्षकों/शिक्षणेत्तर कर्मिकों की नियुक्ति तथा रिक्त पदों व नियुक्ति प्रक्रिया से संबंधित सूचना अपनी वैबसाईट में दिसम्बर, 2025 तक अपलोड की जाए तथा प्रत्येक 6 माह में उसे अद्यावधिक भी किया जाएगा।

11. प्रदेश के समस्त राजकीय विद्यालयों की भूमि के सम्बन्ध में चर्चा हुई, जिसमें निदेशक, माध्यमिक शिक्षा द्वारा अवगत कराया गया कि अधिकतर विद्यालयों की भूमि के अभिलेख दुरूस्त कर लिऐ गए हैं।' आयोग का मत है कि अवशेष विद्यालयों के भी भूमि संबंधित अभिलेखों को नियमानुसार पूर्ण कर लिए जाए तथा उसे शिक्षा विभाग द्वारा जनसामान्य की जानकारी हेतु अपने मैनुअस में भी समाहित करते हुए वैबसाईट पर उपलोड भी किया जाएगा।

अतः उक्त के सम्बन्ध में आपको निर्देशित किया जाता है कि कृपया उपरोक्त निर्देशानुसार (बिन्दु-02 से 09 एवं 11) आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें, तथा कृत कार्यवाही से अद्योहस्ताक्षरी को अवगत कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नक-कार्यवृत्त की प्रति

भवदीय

27.8.25

डॉ0(मुकुल कुमार सती)
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड

Scanned with OKEN Scanner